EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 498—509

Dated 3-4-2004

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(कौंसली, पासपोर्ट, वीजा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2004

सा. का. नि. 99.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1996 के अधिक्रमण में जहां तक उनका संबंध सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक, विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (हिन्दी अनुवादक), भर्ती नियम, 1995 और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, उच्च श्रेणी लिपिक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1995 से है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हुई बातों अथवा किए जाने को समाप्त करने के सिवाय राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में सहायक, हिन्दी अनुवादक, उच्च श्रेणी लिपिक (हिन्दी), उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक एवं अवर श्रेणी लिपिक (टेलीफोन आपरेटर) (समूह 'ग' पद) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **उपशीर्ष और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में निर्धारित हैं।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य योग्यता आदि.**—उपर्युक्त उक्त पदों के संबंध में भर्ती, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले वहीं होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में निर्धारित हैं।

4. **तैनाती.**—सहायक अथवा हिन्दी अनुवादक, जैसा भी मालूम हो, के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति—पात्र नहीं होगा :

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,

(2) जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो, और किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति के लिए तथा अन्य पक्ष के लिए अनुमेय पर्सनल लॉ के अन्तर्गत अनुमत हो और इस प्रकार के अन्य आधार पर हैं जो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट देते हैं।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि लिखित रिकार्ड के लिए किन्हीं कारणों से यह आवश्यक अथवा उचित है, तो वह किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकती है।

बचत.—इन नियमों में से कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्ति को दिए जाने वाले अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	:	**सहायक**
2. पद की संख्या	:	384* (2004) * (कार्यभार पर निर्भर करते हुए विचलन के अध्यधीन)।

3. वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान	:	5000-150-8000 रु.
5. चयन पद है या गैर-चयन पद है	:	चयन
6. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य होगा	:	नहीं
7. प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
8. प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं
9. क्या पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	:	लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	शून्य
11. **भर्ती की विधि:** भर्ती क्या प्रत्यक्ष या पदोन्नती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जा रहे पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति द्वारा 75% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 25%
12. पदोन्नती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वो ग्रेड जिससे पदोन्नती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नति:** (i) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने अपने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (ii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग में उच्च श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक के तौर पर 16 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो। **नोट** : जहाँ अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित सेवावधि में एक वर्ष से अधिक की कमी नहीं हो और यदि निर्धारित हो, उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा :** (ग) (i) अपने वर्ग में आठ वर्ष की नियमित सेवा करने वाले केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक; अथवा . (ii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग में उच्च श्रेणी लिपिक अथवा अवर श्रेणी लिपिक के रूप में सोलह वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा करने वाले केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उच्च श्रेणी लिपिक; और (घ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष की स्नातक उपाधि के धारक। **नोट :** विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 के लागू होने की तिथि में नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के पद धारक व्यक्तियों के मामले में सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा फीडर ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति का अस्तित्व है तो उसके स्वरूप का उल्लेख करें	:	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति हेतु) : (क) निदेशक, कोंसूलर पासपोर्ट और वीसा प्रभागाध्यक्ष—अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के एक प्रभारी उप-सचिव —सदस्य

(ग) विदेश मंत्रालय में दो उप-सचिव —सदस्य

(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य

14. परिस्थितियां, जिसके अंतगर्त भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं।

---

2. 1 : **हिन्दी अनुवादक**

2 : 15* (2004)
* (कार्यभार की निर्भरता पर अन्तर के अध्यधीन)

3 : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवालय

4 : 5000-150-8000 रु.

5 : चयनित

6 : नहीं

7 : 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट)

टिप्पणी : आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन की प्राप्ति के लिए समाप्ति की तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहोल और स्पिति जिले एवं पांगी उप-मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के लिए आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख)

पदों के संबंध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी हैं, आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए अन्तिम तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम देने के लिए कहा गया है।

8 : स्नातक स्तर पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय सहित अंग्रेजी अथवा हिन्दी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा मुख्य विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री (जिसमें अनिवार्य तथा वैकल्पिक शब्द शामिल हो)

9 : सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी

10 : शून्य

11 : पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा।

12 : केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक (हिन्दी) जिनकी अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो तथा सीधी भर्ती के कालम (8) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों।

प्रतिनियुक्ति अथवा समावेशन : केन्द्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारी :

(क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष पद धारण करता हो; अथवा

(ii) नियुक्ति के बाद 4000-100-6000 रुपए के वेतनमान में अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा

(ख) सीधी भर्ती के लिए कालम (8) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता हो।

13 : **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी बनाने के लिए)**

(क) कोंसली, पोसपोर्ट तथा वीजा प्रभाग का निदेशक —अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन का प्रभारी एक उप-सचिव —सदस्य

(ग) विदेश मंत्रालय के दो उप-सचिव —सदस्य

(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग का एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य

14 : लागू नहीं।

---

3. 1 : **उच्च श्रेणी लिपिक (हिन्दी)**

2 : 4* (2004)
* (कार्यभार के अनुसार परिवर्तन)

3 : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, मंत्रालयीय

4 : 4000-100-6000 रु.

5 : चयन

6 : नहीं

7 : लागू नहीं

8 : लागू नहीं

9 : लागू नहीं

10 : शून्य

11 : सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

12 : **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा**

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अवर श्रेणी लिपिक जो नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रखकर स्नातक की डिग्री रखते हों।

नोट : विदेश मंत्रालय केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2004 लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक पद धारकों के लिए उच्च श्रेणी लिपिक (हिन्दी), के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता फीडर ग्रेड में नियमित 5 वर्ष की सेवा होगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार के अधिकारी जो :

(क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; अथवा

(ii) अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड अथवा समतुल्य में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित; और

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी के अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रखकर स्नातक की डिग्री रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

13 : लागू नहीं

14 : लागू नहीं।

---

4. 1 : **उच्च श्रेणी लिपिक**

2 : 567* (2004)
* (कार्यभार के अनुसार परिवर्तन)

3 : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, मंत्रालयीय

4 : 4000-100-6000 रु.

5 : चयन

6 : नहीं

7 : लागू नहीं

8 : लागू नहीं

9 : लागू नहीं

10 : शून्य

11 : 75% पदोन्नति द्वारा

25% कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

12 : **पदोन्नति**

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अवर श्रेणी लिपिक (टेलीफोन आपरेटर) सहित अवर श्रेणी लिपिक जो नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात् ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं।

नोट 1 : विदेश मंत्रालय केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2004 लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक पद धारकों के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता फीडर ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा होगी।

नोट 2 : यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उस ग्रेड में सेवा की निर्धारित अर्हक अवधि पूरा कर लेने के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उस ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों का इस बात पर ध्यान दिये बिना पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा कि उन्होंने उस ग्रेड में निर्धारित अर्हक अवधि पूरी नहीं की है परन्तु उन्होंने पदोन्नति की निर्धारित अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अवर श्रेणी लिपिक (टेलीफोन आपरेटर) सहित अवर श्रेणी लिपिक जो नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात् ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समतुल्य की डिग्री रखता हो।

13 : **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति**

(क) निदेशक कौंसली, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग —अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय पोसपोर्ट संगठन के प्रशासन प्रभाग के प्रभारी उप सचिव —सदस्य

(ग) विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव —सदस्य

(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन का एक पासपोर्ट/उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य

14 : लागू नहीं।

5\. 1 : **अवर श्रेणी लिपिक**

2 : 570* (2004)
* (कार्यभार के अनुसार परिवर्तन)

3 : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, मंत्रालयीय

4 : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5 : चयन

6 : नहीं

7 : 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)

नोट : भारत में अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख, आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

उन पदों, जिनकी नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी होती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि, रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

8 : मैट्रिक अथवा समकक्ष के साथ अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

9 : सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की शैक्षिक और टंकण अर्हताएं सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यताओं के समान होनी चाहिए।

10 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पद पर सीधी भर्ती के सभी व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12 : **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:**

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के समूह 'घ' के कर्मचारी जो नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात् अपने ग्रेड में पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हों और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक और टंकण अर्हताएं रखते हों।

13 : **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी होने के लिए)**

(क) कौंसली, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में निदेशक —अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रशासनिक प्रभारी उप सचिव —सदस्य

(ग) विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव —सदस्य

(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन कैडर का एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य

14. : लागू नहीं।

---

6. 1. : **अवर श्रेणी लिपिक (टेलीफोन ऑपरेटर)**

2. : 17* (2004)
* (कार्यभार के अनुसार परिवर्तन)

3. : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, मंत्रालयीय

4. : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5. : चयन

6. : नहीं

7. : 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)।

नोट : भारत में अभ्यर्थियों केआवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख, आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

उन पदों, जिनकी नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी होती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

8. : मैट्रिक अथवा समकक्ष साथ ही पी ए बी एक्स का ज्ञान।

9. : लागू नहीं

10. : दो वर्ष

11. : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

12. : लागू नहीं।

13. : **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी होने के लिए)**

(क) कौंसली, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में निदेशक —अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रशासनिक प्रभारी उप सचिव —सदस्य

(ग) विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव —सदस्य

(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन कैडर का एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य

14. : लागू नहीं।

[सं. वी.आई.वी.-801/2/2000]

ई. मार्टिन, निदेशक

(Consular Passport, Visa Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2004

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1995 and the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation, Upper Division Clerk (Hindi) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistants, Hindi Translator, Upper Division Clerk (Hindi), Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Lower Division Clerk (Telephone Operator), (Group 'C' posts) in the Central Passport Organisation of the Ministry of External Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the above said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Posting.—The person appointed to the post of Assistant or Hindi Translator, as the case may be, shall be liable to serve anywhere in India.

5. Disqualification.—No person,—

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	1. Name of post	:	**Assistant** 422 (2007)
	2. Number of post	:	384* (2004) *(Subject to variation depending on workload).
	3. Classification	:	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
	4. Scale of pay	:	Rs. 5000-150-8000
	5. Whether selection or non-selection post	:	Selection
	6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	:	No

7. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Nil
11. Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	75% by promotion; 25% by Limited Departmental Competitive Examination.
12. In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	:	**Promotion :** (i) Upper Division Clerks of cadre of Central Passport Organisation with eight years of regular service in their grade; or (ii) Upper Division Clerks of the Central Passport Organisation with sixteen years of combined regular service as Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the cadre of Central Passport Organisation. **Note :** If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation. Limited Departmental Competitive Examination : (c) (i) Upper Division Clerks of the Central Passport Organisation with eight years of regular service as Upper Division Clerk; or (ii) Upper Division Clerks of the Central Passport Organisation with sixteen years of combined regular service as Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the cadre of Central Passport Organisation; and (d) possessing the Bachelor's Degree of a recognised university or its equivalent. **Note :** In the case of persons holding the post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of commencement of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, the eligibility service for promotion to the posts of Assistants shall be five years regular service in the feeder grade.
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation/ promotion) : (a) Director in the Consular, Passport and Visa Division —Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organisation —Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs —Members (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		Not applicable.

2. 1. : **Hindi Translator**

2. : 15* (2004) 23 (2007)
*(Subject to variation depending on workload).

3. : General Central Services Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

4. : Rs. 5,000-150-8,000

5. : Selection

6. : No

7. : 25 years
(Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : Master's Degree of a recognised University in English or Hindi with Hindi or English as a compulsory and elective subject at Degree level; or

Bachelor's Degree of a recognised University with Hindi and English as main subjects (which includes the term compulsory and elective).

9. : The Educational qualification laid down for direct recruits will also apply in the case of promotees.

10. : Nil.

11. : By promotion, failing which by deputation/absorption or by direct recruitment.

12. : **Promotion :**

Upper Division Clerks (Hindi) of the cadre of the Central Passport Organisation with five years of regular service in their grade and possessing educational qualification prescribed in column (8) for direct recruits.

Deputation or Absorption : Officers of the Central Government :

(a)(i) holding analogous posts in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing educational qualifications laid down in column (8) for direct recruits.

13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :**

(a) Director in the Consular, Passport and Visa Division—Chairman

(b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organisation—Member

(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs—Members

(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation.—Member

14. Not applicable.

---

3. 1. : **Upper Division Clerk (Hindi)**

2. : 4* (2004)
*(Subject to variation depending on workload.

3. : General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Selection

1050 EA/04

6. : No
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : Nil
11. : By Limited Departmental Competitive Examination, failing which by Deputation.
12. : Limited Departmental Competitive Examination :

Lower Division Clerks of the Central Passport Organisation with eight years service in the grade after appointment thereto on a regular basis and possessing Bachelor's Degree of a recognised university with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject.

Note : In the case of persons holding the post of Lower Division Clerk on regular basis on the date of commencement of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, the eligibility service for promotion to the posts of Upper Division Clerk (Hindi) shall be five years regular service in the feeder grade.

Deputation : Officers of the Central Government :

(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent; and

(b) possessing Bachelor's Degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject.

(The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.)

13. : Not applicable.
14. : Not applicable.

---

4. 1. : **Upper Division Clerk**
2. : 567* (2004) 628 (2007).

*(Subject to variation depending on workload).

3. : General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. : Rs. 4000-100-6000
5. : Selection
6. : No
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : Nil
11. : 75 percent by promotion;
25 percent by Limited Departmental Competitive Examination conducted by Staff Selection Commission.
12. : **Promotion :**

Lower Division Clerks, including Lower Division Clerk (Telephone Operator) in the Central Passport

Organisation, with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note 1 : In the case of persons holding the post of Lower Division Clerk on the date of commencement of Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004, the eligibility service for promotion to the post of Upper Division Clerk shall be five years in the feeder posts on regular basis.

Note 2 : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons sernior to him in the grade shall also be considered for promotion notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

Limited Departmental Competitive Examination :

Lower Division Clerks, including Lower Division Clerk (Telephone Operator) in the Central Passport Organisation, with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing a Bachelor's degree of a recognised university or its equivalent.

13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee :**

(a) Director in the Consular, Passport and Visa Division—Chairman

(b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organisation—Member

(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs—Members

(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation —Member

14. Not applicable.

---

5. 1. : **Lower Division Clerk**

2. : 570* (2004) 632 (2007)

*(subject to variation depending on workload)

3. : General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590

5. : Selection

6. : No

7. : 25 years.

(Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : Matriculation or equivalent with typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi.

9. : Candidates for Limited Departmental Competitive Examination must have educational and typing qualifications prescribed for direct recruits.

10. : Two years for all persons appointed to the post on direct recruitment through Staff Selection Commission.

11. : 75 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission;
25 percent by Limited Departmental Competitive Examination failing which by direct recruitment

12. : Limited Departmental Competitive Examination :

Group 'D' employees of the Central Passport Organisation with five years service in their grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing educational and typing qualifications prescribed for direct recruits.

13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :**

(a) Director in the Consular, Passport and Visa Division—Chairman

(b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organisation—Member

(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs—Members

(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation —Member

14. Not applicable.

---

6. 1. : **Lower Division Clerk (Telephone Operator)** (Abolished)

2. : 17* (2004)

*(subject to variation depending on workload)

3. : General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590

5. : Selection

6. : No

7. : 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : Matriculation or equivalent with knowledge of PABX.

9. : Not applicable

10. : Two years

11. : By direct recruitment through Staff Selection Commission

12. : Not applicable

13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :**

(a) Director in the Consular, Passport and Visa Division—Chairman

(b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organisation—Member

(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs—Members

(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation —Member

14. Not applicable.

[No. V. IV-801/2/2000]

E. MARTIN, Director

MGIPRRND—1050 EA/2004—400.